

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

~~सोहनलाल~~ बनाम ~~सोहनलाल~~

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 37/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/02/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <del>सोहनलाल</del></p> <p>पिता श्री <del>हरलाल जी रेगर</del></p> <p>निवासी- <del>मानपुरा</del> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <del>मानपुरा (प. ह. लेमलपुरा)</del> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <del>536</del> <del>537</del> <del>539</del> <del>0.0400</del> <del>0.1800</del> <del>0.2300</del></p> <p>कुल कीता <del>0.1800</del> <del>0.2300</del> कुल रकबा <del>0.4500</del> है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <del>मानपुरा (प. ह. लेमलपुरा तह. वस्ती)</del> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <del>536</del> <del>537</del> <del>539</del> <del>0.0400</del> <del>0.1800</del> <del>0.2300</del></p> <p>कुल कीता <del>03</del> रकबा <del>0.4500</del> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <del>700.00</del> रुपये अक्षरे <del>लात से उपर</del> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>